न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 08/2024/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

लूणसिंह पुत्र नारायणसिंह, जाति राजपूत, निवासी रामनगर तन गुंगारा, तहसील व जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. रामादेवी पत्नी भगवाना, जाति जाट, निवासी रामनगर तहसील गुंगारा, तहसील व जिला सीकर (राज.)
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र बाल सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र बाल सिंह
4. ओमप्रकाश पुत्र बाल सिंह
5. संतोष कंवर पत्नी रणजीत सिंह
6. कमल कंवर पत्नी बाल सिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासीगण रामनगर तन गुंगारा, तहसील व जिला सीकर (राज.)
7. भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सीकर (राज.)
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रघुनाथगढ़ जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना—पत्र स्थानान्तरण

निर्णय

दिनांकः 06.08.2024

1. यह अपील वकील **श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा** द्वारा श्री जय कौशिक आर.ए.एस. हाल उपखण्ड अधिकारी सीकर के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2019 बउनवानी रामादेवी बनाम लूणसिंह आदि अर्न्तगत धारा 251(A) R.T.A. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु पेश किया गया है। आवेदन के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:—

(1) अप्रार्थीया संख्या 1 रामादेवी ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) R.T.A. पेश किया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार सीकर द्वारा

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। जबकि अप्रार्थीया संख्या 1 के खेतों में आने–जाने के लिए मौके पर अन्य लघुत्तम रास्ता मौजूद है। प्रार्थी लूणसिंह ने तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर पुनः मौका की रिपोर्ट मंगवायी जाने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार सीकर को आपत्तियो को ध्यान में रखकर पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। किन्तु तहसीलदार सीकर ने पुनः पहले जैसी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा आपत्ति में उठाये गये बिन्दू अनुसार लघुत्तम दूरी के रास्ता बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। जिसपर प्रार्थी लूणसिंह ने उक्त लघुतम दूरी के रास्ते की रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत निवेदन कर पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गई। परन्तु उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रार्थी की आपत्ति को खारिज कर दिया।

(2) उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2024 पारित करने के बाद अप्रार्थीया रामादेवी व उसके पुत्र ने कहा कि "हमारी राजनैतिक पहूँच बहुत ऊंची है तथा हमने पीठासीन अधिकारी पर पूरा दवाब बना रखा है इसलिए आप कोई भी आवेदन लगवा देवें वे पीठासीन अधिकारी निरस्त करेगा तथा हम आपके खेत में से होकर रास्ता लेकर रहेंगे।" इसके बाद रामादेवी का पुत्र पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में जाकर कई देर बाद वापस निकाला तथा उसने कहा कि "आवेदन पर निर्णय हमारे पक्ष में ही आयेगा तथा आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. लूणसिंह बनाम रामादेवी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।"

(3) उक्त कारण से प्रार्थी लूणसिंह को वर्तमान उपखण्ड अधिकारी से न्याय की कोई आशा नहीं रही है तथा पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा।

(4) अतः आवेदन मुन्तकिली प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन आवेदन मुकदमा नम्बर 42/2019 बउनवानी रामादेवी बनाम लूणसिंह आदि बनाम 251(A) R.T.A. को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

वकील श्री निर्मल कुमार शर्मा ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

(1) जवाबदात्री के खेत में किसी भी प्रकार से कोई रास्ता नहीं है। आवेदक द्वारा गलत रूप से आवागमन का कथन दर्ज किया गया है जो मान्य किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक लूणसिंह द्वारा तीन बार मौका रिपोर्ट के बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गई। तीनों बार ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। किन्तु आवेदक हर बार किसी न किसी बहाने से प्रकरण को विलम्बित करवाने के लिए अनावश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। एक मौका रिपोर्ट पर तो आवेदक लूण सिंह राजस्व मण्डल राज. अजमेर व उच्च न्यायालय जयपुर में भी अपील प्रस्तुत कर चुका था, वहां भी उसके आवेदन खारिज किये गये हैं।

(2) आवेदक द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने के लिए झूठे आरोप लगाकर न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जवाबदात्री का पुत्र कभी भी किसी पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गया हुआ है ना ही आवेदक को कोई धमकी दी है। धारा 144 सीपीसी के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। आवेदक द्वारा अनावश्यक रूप से पीठासीन अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया है।

(3) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में प्रकरण संख्या 42/2019 बउनवानी रामा देवी बनाम लूण सिंह अर्न्तगत धारा 251(ए) आर.टी.ए. पिछले पांच वर्षों से विचाराधीन है। आवेदक द्वारा येन केन प्रकारेण प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवेदनों का निस्तारण करते हुए प्रकरण को जब अंतिम बहस के लिए तय किया तो आवेदक द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने के लिए झूठा स्थानान्तरण आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसमें अनावश्यक रूप से आरोप लगाये गये हैं। जवाबदात्री द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रास्ते के संबंध में है जिसके निस्तारण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया विधि में तय की गई है। इसके बावजूद जवाबदात्री विगत पांच वर्षों से अधिक समय से रास्ता नहीं होने के कारण अपनी कृषि भूमि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रही है।

(4) अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जाकर निश्चित समयावधि में प्रकरण का निस्तारण करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सीकर को आदेश प्रदान किया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

3. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है कि आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अधि. बउनवानी रामादेवी बनाम लूणसिंह मुकदमा संख्या 47/2019 में वास्ते बहस आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.07.2024 नियत है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के सम्बन्ध में अंकित आक्षेप निराधार है। पीठासीन अधिकारी पर किसी का दबाव नहीं है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। दौराने बहस अपीलांट के वकील ने कथन किया है कि, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में लम्बित आक्षेपित प्रकरण में तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। जबकि अप्रार्थीया संख्या 1 के खेतों में आने–जाने के लिए मौके पर अन्य लघुत्तम रास्ता मौजूद है। प्रार्थी लूणसिंह ने उक्त लघुतम दूरी के रास्ते की रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत निवेदन कर पुनः आपत्ति प्रस्तुत की गई। परन्तु उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.05.2024 द्वारा प्रार्थी की आपत्ति को खारिज कर दिया। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरताये जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों के अनुरूप कथन किये हैं। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 251(क) रा.का.अधि. काफी लम्बी अवधि से विचाराधीन चल रहा है। आवेदक द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवेदनों का निस्तारण करते हुए प्रकरण को जब अंतिम बहस के लिए तय किया तो आवेदक द्वारा प्रकरण को विलम्बित करने के लिए झूठा स्थानान्तरण आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। जवाबदात्री द्वारा प्रस्तुत प्रकरण रास्ते के संबंध में है जिसके निस्तारण के लिए समयबद्ध प्रक्रिया विधि में तय की गई है। इसके बावजूद जवाबदात्री विगत पांच वर्षों से अधिक समय से रास्ता नहीं होने के कारण अपनी कृषि भूमि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रही है। अतः आवेदन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तण निरस्त फरमाया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

5. हमने उपस्थित उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का बगौर अवलोकन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं, कि:–

(1) आक्षेपित प्रकरण संख्या 42/2019 बउनवानी रामादेवी बनाम लूणसिंह आदि अर्न्तगत धारा 251(A) R.T.A. काफी समय से विचाराधीन चल रहा है। विधि में उक्त प्रकृति के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(2) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। परन्तु प्रकरण में तहसीलदार सीकर द्वारा पुनः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित है।

(3) प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है जिससे जाहिर होता हो कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी आक्षेपित प्रकरण में कोई पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रहे हों।

(4) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलिम्बत किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित अभिवचन आधारहीन, तथ्यहीन हैं तथा अवांछित आधार को मान्य करार नहीं किया जा सकता। पीठासीन अधिकारी के विरूद्व बिना सबूत व आधार के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अभिवचन करना न सिर्फ अवांछित है, बल्कि अनुचित एवं अनैतिक तथा न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **खारिज** किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक **06 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर